Q → स्वीटजरलैण्ड की संघीय परिषद (Federal Council) संसदात्मक एवं अध्यक्षीय पद्धतियों का अनुपम समन्वय है। विवेचना करें।

Ans → स्विस कार्यपालिका स्वयं में एक ऐसी पृथक श्रेणी है जो न तो संसदीय है और न ही अध्यक्षीय है। आधुनिक संवैधानिक व्यवहार में स्विटजरलैण्ड की कार्यपालिका अद्वितीय राजनीतिक संस्था है। यह न तो ब्रिटेन की भांति संसदीय कार्यपालिका है और न ही अमेरिका की तरह अध्यक्षीय कार्यपालिका है। यह अध्यक्षीय तथा संसदीय कार्यपालिका का अनोखा समन्वय है। इसलिये ब्राईस ने इसे अनोखी संस्था बताया है। व्यवहार में यह एक सामूहिक तथा या बहुल कार्यपालिका है। स्वीस संघीय परिषद 7 सदस्यों की एक बहुल कार्यपालिका है।

स्वीस संघीय परिषद की कुछ अनोखी विशेषतायें इस प्रकार हैं —

(1.) गणीय प्रकृति (Collegial character) → स्वीस कार्यपालिका वास्तव में गणीय है। Federal Council के सदस्य इंग्लैण्ड और भारत की भांति मंत्री नहीं होते। वे विधान मंडल के अधीन होते हैं और संसदीय लोकतंत्रों की मंत्रिपरिषदों की भांति विधान मंडल की अगवानी नहीं करते। यदि विधान मंडल उनके कुछ प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दे तो वे त्यागपत्र नहीं देते।

परिषद सदस्य टीम की भांति कार्य करते हैं और कोई अकेला परिषद सदस्य कोई कार्यपालिका निर्णय नहीं कर सकता। परिषद सभी निर्णय सामूहिक रूप से करती है। सभी परिषद सदस्यों की स्थिति और अधिकार समान हैं।

परिषद प्रधान की संवैधानिक स्थिति ब्रिटीश प्रधानमंत्री या अमेरिकी राष्ट्रपति की भांति नहीं है। वह अपने सहयोगियों की नियुक्ति तथा चुनाव नहीं कर सकता न ही उन्हें पदच्युत कर सकता है। वह अधिक से अधिक एक श्रेष्ठ सहयोगी होता है, जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है, वह केवल निर्णायक मत दे सकता है, परन्तु उसे कुछ प्रभुत्व प्राप्त नहीं है। बावजूद इसके वह विभिन्न फेडरल अवसरों पर फेडरल परिषद का प्रतिनिधित्व करता है।

② बहुल कार्यपालिका (Plural executive) → स्वीटजरलैण्ड की कार्यपालिका की महत्वपूर्ण विशेषता है इसका बहुल होना। स्वीटजरलैण्ड की संघीय परिषद के सातों (7) सदस्यों की स्थिति समान है। संघीय परिषद का अध्यक्ष जो समान रूप से स्वीटजरलैण्ड के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, एक औपचारिक प्रधान है। संघीय परिषद के सदस्य बारी-2 से एक साल के लिये अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1848 ई० की संविधान समिति ने कहा था — "स्वीटजरलैण्ड में व्यक्ति समितियों को चाहता है। हमारी लोकतंत्रीय भावना किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत महत्व के पूर्णतः विरुद्ध है।"

③ पक्षपात रहित स्वरूप (Non Partisan character) → साधारणतया परिषद सदस्य किसी एक दल के नेता नहीं होते हैं। यह सक्रिय राजनीतिज्ञों का एक गुट

P.T.O.

Scanned with CamScanner

होता है, जो अपनी प्रशासनिक क्षमता के कारण चुने जाते हैं। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में प्रायः एक ही दल के सदस्य होते हैं। सोवियत संघ की प्रेजिडियम के सभी सदस्य साम्यवादी दल के शीर्ष नेता होते हैं। स्वीस संघीय परिषद के सदस्यों के लिये एक दल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रशासनिक कुशलता, मानसिक ग्रहण बुद्धि, सद् बुद्धि, कार्य कुशलता और सद स्वभाव ही एक अभ्यर्थी के गुण हैं। आम तौर पर संघीय परिषद में या तो निर्दलीय व्यक्ति रहते हैं या कई राजनीतिक दलों के लोग रहते हैं। संघीय परिषद के सदस्य परिषद के निर्णय के विरुद्ध भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। स्ट्रांग ने कहा है—"मंत्रिमंडल का रूप दलबंदी पर आधृत नहीं है। वह दल की सीमा से परे है। सदन में न तो वह दल का कार्य करता है और न सदन के विभिन्न दलों के कार्यों पर विचार करता है।"

(3) उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व का समागम (Union of Responsibility and Permanence) → अमेरिका की कार्यपालिका का गुण स्थायित्व है, परंतु वह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ब्रिटेन की कार्यपालिका उत्तरदायी है परंतु उसमें स्थायित्व का अभाव है। इन दोनों के विपरित स्वीटजरलैण्ड की कार्यपालिका में उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व (Responsibility and Permanence) दोनों तत्व हैं। संघीय परिषद के सदस्य संघीय सभा के सदस्य नहीं होते परंतु वे संघीय सभा की कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। संघीय सभा के सदस्य संघीय परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा विभागीय कार्यों के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वस्तुतः संघीय परिषद संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी हो जाती है परंतु संघीय सभा अविश्वास तथा निंदा का प्रस्ताव पारित कर संघीय परिषद को अपदस्थ नहीं कर सकती। इस तरह परिषद का स्थायित्व बना रहता है। अतः "संघीय परिषद के सदस्य एक वकील अथवा भवन निर्माता की तरह होता है, क्योंकि उसका परामर्श प्रायः लिया जाता है और सुना भी जाता है, परन्तु यदि मालिक उसे अपनी ईच्छानुसार कार्य न करने को कहें तो उससे पद त्याग नहीं लिया जा सकता।"

(4) विधानमंडल का अनुचर (Servant of the legislature) :— स्वीटजरलैण्ड में कार्यपालिका शासन की कोई स्वतंत्र अथवा सहयुक्त शाखा नहीं है। अधिक से अधिक यह संघीय सभा की अनुचर है। यह ब्रिटीश मंत्रिपरिषद की भांति सदन में आधीन बहुमत की सहायता से विधान मण्डल पर नियंत्रण नहीं रखती। इसके विपरित इस पर विधान मण्डल का नियंत्रण है। संघीय सभा का बहुमत दल संघीय परिषद-सदस्यों का चुनाव करता है। इंग्लैण्ड व भारत की भांति यह उनके कार्यों का समर्थन करने के लिये दलीय अनुशासन द्वारा आबद्ध नहीं है। यदि संघीय परिषद-सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को विधानमण्डल अस्वीकृत कर दे, तो वे त्याग पत्र नहीं देते, न ही वे सभा का विसर्जित करने की धमकी देते हैं।

(5) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (Individual responsibility) → संघीय परिषद के सदस्य विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। परिषद में निर्णय बहुमत से किये जाते हैं, परन्तु सब पर बाध्य नहीं होते। सदस्य अपने विरोधी मत को सदन में या जनता

Scanned with CamScanner

के सम्मुख भी प्रकट कर सकते हैं। यह प्रचलित संसदीय परिपाटी से भिन्न है। जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद को सदन तथा जनता का एक ही आवाज से सामना करना पड़ता है।

इस प्रकार हम पाते हैं कि स्वीस कार्यपालिका अपने आप में एक अनोखी संस्था है जिसके कुछ गुण ब्रिटेन संसदीय प्रणाली के हैं तथा कुछ गुण अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली के हैं। इंग्लैण्ड व भारत के संविधान के विपरित स्विस संघीय परिषद सदस्य न तो मंत्री होते हैं न तो प्रधानमंत्री होता है। चूंकि स्वीस कार्यपालिका सात सदस्यों की एक बहुल कार्यपालिका है जिसमें सभी ~~कोई~~ सदस्य समान होते हैं।

तुलना (comparison) :-

स्विस कार्यपालिका न तो संसदीय है और न ही अध्यक्षीय है। इसकी अपनी अलग जोड़ी है जिसको गणीय या बहुपक्षीय कार्यपालिका कहा जाता है।

इंग्लैण्ड व भारत के संविधान के विपरित स्विस संघीय परिषद सदस्य मंत्री नहीं होते न ही प्रधान मंत्री होता है। वे स्थिति और सम्मान में समान होते हैं, कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होता। सभी निर्णय सामूहिक रूप से किये जाते हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि संघीय परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी हैं। संघीय परिषद का हर सदस्य अन्य सदस्यों के बहुमत द्वारा किये गये निर्णयों ~~से~~ मतभेद रख सकता है और सदन में या जनता के सम्मुख अपना मत प्रकट कर सकता है।

विधान मंडलीय संबंधों में भी स्विस कार्यपालिका ~~अस्पष्टतया~~ असंसदीय है। परिषद सदस्य एक बार चुने जाने पर अपनी कार्यावधि पूर्ण होने से पूर्व पदच्युत नहीं किये जा सकते। इंग्लैण्ड व भारत के संसदीय लोकतंत्र के विपरित विधानमंडल में संघीय परिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक यदि असफल हो जाय तो इसका अर्थ कार्यपालिका का त्याग पत्र नहीं है। वे उदारतापूर्वक अनादर को सहन कर लेते हैं।

स्विस कार्यपालिका अमेरिकी राष्ट्रपत्यात्मक शासन से भी भिन्न है। निःसंदेह संघीय परिषद का प्रधान स्विस राज्यमंडल का राष्ट्रपति माना जाता है। परंतु उसे अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी स्थिति तथा अधिकार प्राप्त नहीं है। वह राज्य का केवल औपचारिक प्रमुख होता है। उसके अधिकार अपने सहयोगियों जैसे ही हैं। अन्तर केवल इतना है कि वह परिषद में प्रधान पद ग्रहण करता है और मत संतुलन हो जाने पर निर्णायक मत दे सकता है। स्विस राष्ट्रपति किसी भी दृष्टि से कार्यपालिका प्रमुख नहीं है। इसके विपरित अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद के मंत्रियों पर वास्तविक और प्रभावशाली अधिकार रहता है। वही उन्हें नियुक्त या विमुक्त कर सकता है। वह उसके केवल आधीन सहायक होते हैं। स्विस कार्यपालिका के विषय में डायसी का यह मत उपयुक्त ही है कि "यह संघीय सभा की ईच्छानुसार राज्य सभा के व्यापार को चलाने के लिये नियुक्त निर्देशक मंडल है।"

—x—

Scanned with CamScanner